भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 5387**
**25 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न**

**राशन कार्डों को जोड़ना और रद्द करना**

**5387. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से वर्तमान वर्ष सहित अब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत राज्य और संघ राज्यक्षेत्रवार और वर्ष-वार कितने राशन कार्डों को जोड़ा गया है और रद्द किया गया है;

(ख) अपात्रता, दोहराव, आधार सीडिंग, पलायन, आय मानदंड या सत्यापन न किए जाने जैसे कारणों सहित इस अवधि के दौरान राशन कार्डों को रद्द करने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राशन कार्डों को सूची में जोड़ने और हटाने के लिए कोई मानकीकृत मानदंड या दिशा-निर्देश है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या जिन लाभार्थियों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, उनके लिए कोई शिकायत निवारण या अपील तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो वास्तविक लाभार्थियों की छटनी को रोकने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**
**(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)**

**(क) और (ख):** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के प्रचालनों जैसे राशन कार्ड/लाभार्थी डेटाबेस का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, डुप्लीकेशन हटाने की प्रक्रिया, अपात्र रिकॉर्ड की पहचान, मृत्यु, लाभार्थियों का स्थायी प्रवासन आदि में प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामस्वरूप, वर्ष 2014 से 2025 के बीच सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लगभग 6.31 करोड़ राशन कार्डों को रद्द करने में सक्षम हुए हैं ताकि सही लाभार्थी लक्ष्य सुनिश्चित किया जा सके। वर्षवार और राज्यवार रद्द किए गए राशन कार्डों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

...2/-

**(ग):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत, पात्र परिवारों की पहचान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। एनएफएसए, 2013 की धारा 10 के अनुसार, राज्य सरकार को अपने स्वयं के समावेशन और अपवर्जन दिशानिर्देश तैयार करने और अधिनियम की धारा 9 के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों (पीएचएच) के अंतर्गत आने वाले परिवारों की पहचान करने की आवश्यकता है। तदनुसार, लाभार्थियों की पात्रता या अपात्रता निर्धारित करने के मानदंड संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने नियंत्रण आदेशों और दिशानिर्देशों के माध्यम से परिभाषित किए जाते हैं।

**(घ):** विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत डिजिटल निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं।

सर्वप्रथम, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टोल-फ्री हेल्पलाइन (1967/1800 श्रृंखला) की सार्वभौमिक उपलब्धता के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणालियों को मजबूत किया गया है। इसके अतिरिक्त, व्हाट्सएप और आईवीआरएस चैनलों का उपयोग करते हुए एआई-सक्षम शिकायत निवारण मंच के रूप में अन्न सहायता (आशा) की शुरुआत की गई है, जिससे लाभार्थियों को अपनी पसंदीदा क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायतें दर्ज करने और प्रतिक्रिया देने की सुविधा मिलती है।

मेरा राशन मोबाइल ऐप लाभार्थियों को उनकी पात्रता संबंधी जानकारी प्राप्त करने, लेनदेन का इतिहास देखने, आस-पास के एफपीएस (उचित दर दुकानों) का पता लगाने और सीधे शिकायतें दर्ज करने के लिए एक एकीकृत इंटरफ़ेस भी प्रदान करता है।

इसके अलावा, सीपीग्राम्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के माध्यम से निगरानी को मजबूत किया गया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिकायत निवारण के लिए निर्धारित 21 दिनों की समयसीमा का पालन करने की सलाह दी गई है। डैशबोर्ड के माध्यम से लंबित शिकायतों की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवधिक परामर्शिका जारी की जाती है। अधिक लंबित शिकायतों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विशेष रूप से चिह्नित किया जाता है।

ये सभी पहलें सामूहिक रूप से पारदर्शिता बढ़ाती हैं, जवाबदेही में सुधार करती हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभार्थियों को समय पर सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करती हैं।

*****

अनुबंध

**लोक सभा में दिनांक 25.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5387 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।**

## रद्द किए गए राशन कार्डों की स्थिति

| क्र. सं | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2,024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 5,45,987 | 1,29,202 | 4,75,023 | 5,449 | 15,209 | 12,762 | 24,523 | 13,128 | 30,94,232 | 52,610 | 512 | 102 |
| 2. | अंडमान और निकोबार | - | 37 | 7 | 6 | 47 | 421 | 431 | 196 | 950 | 47 | 49215 | 50681 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1,059 | 115 | 4,396 | 56 | - | - | - | - | 1,151 | 328 | 268 | 1128 |
| 4. | असम | - | - | 1,08,681 | 42,077 | 1,35,250 | 22,412 | 21,291 | 11,120 | 28,590 | 38,590 | 161516 | 24381 |
| 5. | बिहार | 21,712 | 16,401 | 6,291 | - | 2,18,051 | 3,92,713 | 99,404 | 15,678 | 1,61,809 | 4,49,525 | 1686266 | 149043 |
| 6. | चंडीगढ़ | - | - | - | 88 | - | - | - | | 684 | 2,291 | 207 | 2401 |
| 7. | छत्तीसगढ | 7,10,000 | 1,43,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | 56,834 | 1,38,967 | 4,508 | 10,400 | 20,715 | 29,108 | 57371 | 60496 |
| 8. | दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव समूह | - | 262 | 650 | 272 | 4,898 | 577 | 5,840 | 2,454 | 73 | 1 | 151 | 1101 |
| 9. | दिल्ली | - | 38,496 | 22,696 | 3,969 | 2,56,987 | 381 | 518 | 448 | 116 | 3,686 | 61292 | 11438 |
| 10. | गोवा | 93 | 1,45,471 | 10,115 | 6,146 | 1,130 | 888 | 148 | 805 | 2,117 | 5,801 | 166 | 3467 |
| 11. | गुजरात | 64,079 | 45,833 | 22,119 | 18,965 | 95,659 | 23,038 | 47,936 | 2,19,151 | 1,32,519 | 1,35,362 | 30889 | 69102 |
| 12. | हरियाणा | 22,903 | 43,515 | 19,648 | 29,686 | 2,91,926 | - | - | - | 1,96,174 | 8,49,972 | 328557 | 1343474 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 235 | - | 1,148 | 172 | 56,858 | 367 | 4,376 | 2,538 | 3,299 | 7,551 | 9673 | 7400 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 640 | 3,325 | 50,709 | 664 | 3,428 | 13,869 | 13,224 | 33,677 | 2,927 | 5,403 | 4767 | 3036 |
| 15. | कर्नाटक | 19 | 7,914 | 4,46,025 | 3,59,793 | 82,394 | 60,333 | 65,234 | - | 75,137 | 29,771 | 6374 | 67730 |
| 16. | केरल | 6,64,755 | 7,61,326 | 1,44,432 | 3,26,382 | 73,675 | 1,09,312 | 31,753 | 42,558 | 48,477 | 74,401 | 27105 | 50594 |
| 17. | लद्दाख | 57 | - | - | - | 3,314 | 2,543 | 52,475 | 1,04,511 | 41,998 | 40,800 | 11555 | 7261 |
| 18. | लक्षद्वीप | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | शून्य | शून्य | 614 | 30 | 58 | 615 | 764 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 76 | 872 | 442 | - | 5 | 6 | 7 | 33 | 38 | 89 | 88 | 32 |
| 20. | कर्नाटक | 1,313 | - | 3,89,124 | 1,84,673 | 1,27,441 | 61,265 | 1,65,829 | 9,93,704 | 98,186 | 4,96,092 | 704848 | 260285 |
| 21. | महाराष्ट्र | 85,160 | 8,20,780 | 11,55,908 | - | 12,81,922 | 6,53,677 | 1,31,986 | 36,119 | 1,44,985 | 2,01,676 | 174342 | 133469 |
| 22. | मणिपुर | - | - | - | 336 | - | - | 45,321 | 9,411 | 30,493 | 9,684 | 7215 | 6515 |
| 23. | मेघालय | - | - | - | - | 2,568 | 10,525 | 16 | - | 402 | 1,612 | 449 | 102 |
| 24. | मिजोरम | 47 | 53 | 101 | 559 | 107 | 156 | 1,443 | 1,637 | 3,617 | 4,115 | 2548 | 742 |
| 25. | नागालैंड | 3,247 | - | - | 8,521 | 7,723 | 18,552 | 7,304 | - | 3,428 | 3,177 | 3924 | 1347 |
| 26. | ओडिशा | - | - | 6,50,471 | 35,740 | - | - | - | - | 64,122 | 31,240 | 19420 | 121134 |
| 27. | पुडुचेरी | 10,629 | 56,121 | 9,886 | 3,290 | 3,533 | 2,093 | 1,881 | 1,731 | 538 | 847 | 898 | 763 |
| 28. | पंजाब | 93,267 | - | - | 69,945 | 34,972 | 94,031 | 1,79,837 | 3,305 | 1,52,497 | 1,23,722 | 7520 | 2290 |
| 29. | राजस्थान | - | 26,329 | 13,71,230 | 73,110 | 8,016 | 72,276 | 5,80,241 | 1,35,283 | 2,65,390 | 26,386 | 103444 | 605826 |
| 30. | सिक्किम | - | - | 11,714 | 1,126 | 3,377 | 5,622 | 6,981 | - | 458 | 0 | 604 | 2116 |
| 31. | तमिलनाडु | 96,406 | 1,14,175 | 84,470 | 9,089 | - | - | - | 2,00,942 | 86,150 | 73,875 | 63905 | 33339 |
| 32. | तेलंगाना | 11,71,354 | 83,048 | 5,21,790 | 41,194 | 3,101 | 40,684 | 12,154 | - | 4,988 | 34,064 | 3424 | 140947 |
| 33. | त्रिपुरा | 11,814 | 66,236 | 92,728 | - | 18,874 | 552 | 1,099 | 1,100 | 1,254 | 800 | 467 | 4334 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 19,117 | 2,33,847 | 25,86,541 | 44,41,748 | 43,72,491 | 41,52,273 | 8,54,025 | 7,19,213 | 9,99,100 | 7,00,138 | 841123 | 597012 |
| 35. | उत्तराखंड | - | 1,11,367 | 89,984 | 3,18,718 | 1,26,268 | - | - | 49,712 | 66,627 | 9,691 | 4,589 | 3014 |
| 36. | पश्चिम बंगाल | 16,77,311 | 21,84,152 | - | - | 88,593 | 1,00,151 | 59,666 | 2,93,326 | 6,47,003 | 7,56,860 | 509952 | 374519 |
| **कुल योग** | | **52,01,280** | **50,31,877** | **84,26,329** | **61,31,774** | **73,74,651** | **59,90,446** | **24,19,451** | **29,02,794** | **63,80,274** | **41,99,373** | **4885259** | **41,41,385** |

*****